

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक / /2639/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सुरेश कुमार भदकारिया, उप संचालक, कार्यालय-क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारिवारिक कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 04.05.2018 के आधार पर डॉ. सुरेश कुमार भदकारिया को दिनांक 31.07.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. सुरेश कुमार भदकारिया, के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भागीरथ सुनहरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ० क्रमांक / 1584/2639/2018/सत्रह/मेडि-1, भोपाल, दिनांक 30/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र० 1596 दिनांक 21.06.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर म.प्र.।
9. डॉ. सुरेश कुमार भदकारिया, उप संचालक, कार्यालय-क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुष्पा भवन, भोपाल (म.प्र.लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
29 JUN 2018
4754
आवक क्र.

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक एफ 4- /2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. डी.एस. सोलंकी, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय खरगौन द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 05.01.2018 के आधार पर डॉ. डी.एस. सोलंकी को दिनांक 20.07.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. डी.एस. सोलंकी, के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 27/06/2018

पृ0 क्रमांक एफ 4- /2018/सत्रह/मेडि-1,
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र0 1547 दिनांक 13.06.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
 6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगौन म.प्र.।
 7. सिविल सर्जन सह. मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला खरगौन म.प्र.।
 8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खरगौन म.प्र.।
 9. डॉ. डी.एस. सोलंकी, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय खरगौन म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

म.प्र. (6)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—: आदेश :—

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक एफ 4- /2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. के.सी. व्यास, दन्त रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय उज्जैन द्वारा पारिवारिक कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 23.04.2018 के आधार पर डॉ. के.सी. व्यास को दिनांक 01.06.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. के.सी. व्यास, के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 27/06/2018


1546/2205
पृ० क्रमांक एफ 4- /2018/सत्रह/मेडि-1,
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र० 1398 दिनांक 31.05.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र.।
9. डॉ. के.सी. व्यास, दन्त रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय उज्जैन म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--- आदेश ---

भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2018

क्रमांक एफ 2-3/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अरुण कुमार जैन, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय पन्ना द्वारा पारिवारिक एवं स्वयं के स्वास्थ्य कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.08.2017 के आधार पर डॉ. अरुण कुमार जैन को दिनांक 25.10.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. अरुण कुमार जैन, के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2018

प0 क्रमांक एफ 2-3/2018/सत्रह/मेडि-1,


प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र0 1178 दिनांक 15.05.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
 6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पन्ना म.प्र.।
 7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला पन्ना म.प्र.।
 8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला पन्ना, म.प्र.।
 9. डॉ. अरुण कुमार जैन, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय पन्ना म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक एफ 4-4/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. टी.सी. कलवानी, चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.के. साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 19.1.2018 के आधार पर डॉ. टी.सी. कलवानी को दिनांक 01.05.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. टी.सी. कलवानी, के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 6/06/2018

पृ० क्रमांक एफ 4-4/2018/सत्रह/मेडि-1,
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र० 1245 दिनांक 21.05.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नरसिंहपुर म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह. मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला नरसिंहपुर म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नरसिंहपुर, म.प्र.।
9. डॉ. टी.सी. कलवानी, चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.के. साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 28/04/2018

क्रमांक एफ 02-02/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. श्रीमती अलका निखार, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय दमोह द्वारा स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 31.05.2017 के आधार पर डॉ. श्रीमती अलका निखार को दिनांक 01.07.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ डॉ. (श्रीमती) अलका निखार, के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शोष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 02-02/2018/सत्रह/मेडि-1,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 28/04/2018

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क0 512 दिनांक 26.3.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
 6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह म.प्र.।
 7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला दमोह म.प्र.।
 8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला दमोह, म.प्र.।
 9. डॉ. श्रीमती अलका निखार, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय दमोह म.प्र.।
 10. स्टाक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

अप. सं. (प.सं.) सं. 1996
दिनांक 24-4-18

भोपाल, दिनांक 16/04/2018

क्रमांक / 831 / 586 / 2017 / सत्रह / मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. पी.डी. गुप्ता, मेडिकल विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय शिवपुरी द्वारा पारिवारिक एवं निजी कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. पी.डी. गुप्ता को दिनांक 01.12.2016 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 16/04/2018

पृ० क्रमांक / 832 / 586 / 2017 / सत्रह / मेडि-1,

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक शिवपुरी म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला शिवपुरी म.प्र.।
9. डॉ. पी.डी. गुप्ता, मेडिकल विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय शिवपुरी म.प्र.।
10. स्टॉक फाईल।


की ओर सूचनार्थ / पालिनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स. ७ (७)



मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /02/2018

क्रमांक एफ 11-04/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. बी.पी. सक्सेना, दन्त चिकित्सक, सिविल अस्पताल ब्यावरा जिला राजगढ़ द्वारा पारिवारिक एवं निजी कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. बी.पी. सक्सेना को दिनांक 01.08.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 02/02/2018

पृ० क्रमांक एफ 11-04/2018/सत्रह/मेडि-1,
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक राजगढ़ म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला राजगढ़, म.प्र.।
9. डॉ. बी.पी. सक्सेना; दन्त चिकित्सक, सिविल अस्पताल ब्यावरा जिला राजगढ़ म.प्र.।
10. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

34-0 (6)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

- :: संशोधन आदेश :: -

भोपाल, दिनांक /2/2018

क्रमांक /3522/2017/सत्रह/मेडि-1::विभागीय आदेश क्रमांक
2745/3522/2017/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 15.11.2017 द्वारा डॉ. ए.के. अरोरा, चिकित्सा
अधिकारी, सिविल डिस्पेंसरी, दीनदयाल नगर जिा ग्वालियर की स्वैच्छिक से0नि0 दिनांक
15.03.2013 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश दिनांक 15.03.2015 अंकित की गई है।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15.11.2017 में डॉ. ए.के. अरोरा
की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तिथि 15.03.2013 पढ़े जाने का आंशिक संशोधन किया जाता
है।

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक 57/ /3522/2017/सत्रह/मेडि-1, भोपाल, दिनांक 26/2/2018
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, म0प्र0।
 4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर म.प्र.।
 7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर म.प्र.।
 8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर म.प्र.।
 9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर, म.प्र.।
 10. डॉ. ए.के. अरोरा, चिकित्सा अधिकारी, सिविल डिस्पेंसरी, दीनदयाल नगर जिला ग्वालियर।
 11. स्टाक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

4 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 3 / 02 / 2018

क्रमांक एफ 11-01/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. बी.बी.एस. दिखित, निश्चेतना विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, कटनी द्वारा पारिवारिक कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. बी.बी.एस. दिखित को दिनांक 31.08.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ० क्रमांक एफ 11-01/2018/सत्रह/मेडि-1,

भोपाल, दिनांक 3 / 02 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 6. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
 7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी म.प्र.।
 8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला कटनी म.प्र.।
 9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कटनी, म.प्र.।
 10. डॉ. बी.बी.एस. दिखित, निश्चेतना विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, कटनी म.प्र.।
 11. स्टाक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /01/2018

क्रमांक एफ 11-03/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. नवल किशोर नेमा, चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय जेल सतना द्वारा स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. नवल किशोर नेमा को दिनांक 31.1.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 11-03/2018/सत्रह/मेडि-1,

भोपाल, दिनांक 30/01/2018

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सतना, म.प्र.।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
8. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सतना, म.प्र.।
10. डॉ. नवल किशोर नेमा, चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय जेल सतना म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /01/2018

क्रमांक एफ 11-02/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. गणेश प्रसाद नेमा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सागर द्वारा स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. गणेश प्रसाद नेमा को दिनांक 01.08.2016 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 30/01/2018

पृ० क्रमांक एफ 11-02/2018/सत्रह/मेडि-1,
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 6. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
 7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर म.प्र.।
 8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सागर म.प्र.।
 9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सागर, म.प्र.।
 10. डॉ. गणेश प्रसाद नेमा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सागर म.प्र.।
 11. स्टाक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग